

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - क२जान्ना)



धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 551/25 दायर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट
1	द्विजा ना२वडा	75	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर प्रविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर निरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौडगढ

तहसीलदार (प्र.अ.) कपासन

सहायक कलक्टर (ग्रामीण सेवा शिविर)